पीठासीन अधिकारी :- [illegible] आर.ए.एस
मूल चन्द

अपील संख्या – 2019 / 00041 (41 / 2019)223 आरटीएक्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

पुष्पाकंवर धर्मपत्नी स्व0 श्री रघुनाथ सिह जाति राजपूत निवासी चक 10 एच.एम.एच तहसील व जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. संतोष कंवर धर्मपत्नी श्री राजेन्द्रपालसिंह पुत्र श्री भरतसिंह
2. मनीष कंवर } पुत्रियॉ श्री राजेन्द्रपाल सिह पुत्र. स्व0 भरतसिंह जाति राजपूत निवासी
3. कृष्णा कंवर पालवास तहसील व जिला सीकर (सीकर) –रेस्पोडेण्ट / प्रार्थीगण
4. सतपालसिंह पुत्र स्व0 श्री दीपसिह जाति राजपूत निवासी पालवास, तहसील व जिला सीकर (राज0)
5. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ
6. तहसीलदार (राजस्व) सीकर, जिला सीकर
7. यूको बैंक मुख्य ब्रांच हनुमानगढ टाउन जरिये शाखा प्रबन्धक, तहसील व जिला हनुमानगढ।
8. पंजाब नेशनल बैंक शाखा रसीदपुरा तहसील व जिला सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ 22.02.2019 प्रकरण संख्या 302 / 2018 (316 / 2013) बअनवानी राजेन्द्रपाल सिंह बनाम पुष्पाकंवर

श्री राजेन्द्र भूंवाल अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से ।

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1 ता 3

श्री प्रद्युमनसिंह परमार अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 4

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता 5, 6

श्री बजरंग सिह शेखावत अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 7

निर्णय

दिनांक –03.05.2019

1. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 के पति / पिता ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में

पेश किया। प्रार्थना–पत्र में कहा 10 एचएमएच तहसील हनुमानगढ के प. नं. 151/266 (19) की 4.217 है0 व तहसील सीकर के गांव ताजसर करणावतान की खसरा नं. 244 की 3.980 है. भूमि को किसी भी प्रकार रहन बैय व मुन्तकिल नहीं करने तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं काश्त व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.02.2019 से प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं उभयपक्ष ने लिखित बहस भी प्रस्तुत की।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की मौखिक एवं लिखित बहस सारतः इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन है जिसमें धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र कन्फर्म किया गया है। रघुनाथसिंह के नाम 10 एचएमएच में 25 बीघा एवं गांव ताजसर कर्णावतान में 5.700 हैक्टेयर भूमि थी जो रघुनाथसिंह के देहान्त पर पुष्पाकंवर के नाम विरास्तन इन्तकाल दर्ज हो गई। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट ने यह अंकित किया कि रेस्पोडेण्ट के पक्ष में 1990 में वसीयत सतपाल एवं राजेन्द्र पाल के नाम से की हुई थी। इस तथ्य को छुपाकर पुष्पाकंवर ने अपने नाम से म्यूटेशन खुलवा लिया। इन्होंने ये भी अंकित किया कि कुछ भूमि सतपालसिंह ने पुष्पाकंवर से खरीद ली। रघुनाथसिह की पूर्व पत्नी का देहान्त 1993 में हो गया जिसके कोई औलाद नहीं थीं। रघुनाथसिंह ने पुष्पाकंवर से शादी की। रघुनाथसिंह एवं पुष्पाकंवर पर हमला हुआ, जिसमें रघुनाथसिंह की हत्या हो गई। अंजाने में पुष्पाकंवर से महेन्द्रसिह ने मुख्त्यारनामा करवा लिया। मुख्तयारनामा के आधार पर सतपालसिंह के उक्त भूमि को बेचान कर दिया और दिनांक 23.11.1996 में इन्तकाल दर्ज करवा लिया। 23.07.2007 को पुष्पाकंवर से शेलेन्द्रसिह के पक्ष में गोदनामा रजिस्ट्री करवा लिया । पुष्पाकंवर के नाम बिजली कनैकशन, बैंक लौन लिया, कब्जा पुष्पाकंवर का है। वसीयतनामा, गोदनामा आदि सभी दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार की गई है। राशन कार्ड संयुक्त परिवार का है। सतपालसिंह गांव का सरपंच है जिसके पक्ष में वसीयत होते हुए भी पुष्पाकंवर के पक्ष में इन्तकाल कैसे दर्ज हुआ। वसीयत फर्जी है। अधीनस्थ न्यायालय में सतपालसिंह को पक्षकार नही बनाया गया। अपीलाण्ट पुष्पाकंवर के पक्ष में रेस्पोडेण्ट कोई भूमि छोड़ना नहीं चाहते है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अपीलाण्ट के पक्ष में थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन पर अपना कोई विवेचन नहीं करते हुए महज रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्रों का हवाला देते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया है। अपीलाण्ट एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है और रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का कनैक्शन अपने नाम लिया हुआ है। यदि अपीलाण्ट का कब्जा नहीं है तो ट्यूबवैल का कनैक्शन व बैंक से ऋण प्राप्त नही होता लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर कोई गौर नहीं किया है। प्रार्थीया पर्दानशीन औरत हाने व विधवा होने व राजपूत समाज में औरत जात पर पर्दा में रहने की प्रथा होने के कारण रेस्पोडेण्ट द्वारा मिथ्या दस्तावेज तैयार करके अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं। रेस्पोडेण्ट का मुख्य आधार ही वसीयत है जो अवलोकन से ही प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत होती है व ना ही असल वसीयत प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2016 (2) पेज 1080, 2016 (2) आरआरटी पेज 1144, 2016-17 सुप्रिम कोर्ट आरआरटी पेज 637, 2018 (1) आरआरटी पेज 692, 2018 (2) आरआरटी 1275, 2018 आरआरडी पेज 694 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 की मौखिक एवं लिखित बहस सारतः इस प्रकार है कि महेन्द्रसिंह ने प्रश्नगत 25 बीघा भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि का बैयनामा अपीलाण्ट की और से जरिये मुखतयारआम निष्पादित किया गया है। यदि अपीलाण्ट के कथनानुसार यह मुखत्यारनामा उसकी स्वतंत्र इच्छा अथवा जानकारी के बिना निष्पादित किया होता तो उसके द्वारा रेस्पोडेण्ट 4 के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र को चुनौती दी जाती लेकिन आज तक सतपालसिंह रेस्पोडेण्ट संख्या 4 के विक्रय. के आधार पर निष्पादित इन्तकाल को चुनौती नहीं दी गई है। अपीलाण्ट का यह कथन निराधार है कि दिनांक 27.03.2007 को उसने शेलेन्द्र सिंह को गोद लेते हुए गोदनामा निष्पादित व पंजीकृत करवाया हो। यह गोदनामा दिनांक 27.03.2007 अपीलाण्ट ने निष्पादित कर उप पंजीयक सीकर के समक्ष दिनांक 28.03.2007 को पंजीकृत करवाया है तथा इस पंजीकरण की कार्यवाही में श्रीमति पुष्पाकंवर अपीलाण्ट का फोटो व अंगूठा निशान है। इस रजिस्टर्ड गोदनामा को अपीलाण्ट ने आज तक चुनौती नही दी है। अपीलाण्ट ने वसीयत नामा के एक अनुप्रमाणिक गवाह टंवरसिह व टंवरसिह स्व0 श्री राजेन्द्रपालसिंह का साला होने से इस वसीयत का स्व0 श्री राजेन्द्रपालसिंह को प्रारम्भ से ही ज्ञान होने के कथन किये हैं जो निराधार व भ्रामक है। वस्तुतः राजेन्द्रपाल सिंह का विवाह दिनांक 28.05.1991 को हुआ तथा सन 1990 में वसीयत के निष्पादन के समय राजेन्द्र पालसिंह व टंवरसिंह के मध्य साला बहनोई का संबंध ही नहीं था। निमंत्रण पत्र में भंवरसिंह का दिवंगत होना अंकित नहीं है बल्कि इस निमंत्रण पत्र में दर्शनाभिलाषी के रूप ठा0 भरत सिंह का नाम अंकित है। अपीलाण्ट ने माननीय न्यायालय के समक्ष भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए राजेन्द्रपालसिह के विवाह के समय भरतसिह की मृत्यु हो जाने व इस कारण श्रीमती

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दीपसिंह का देहान्त 23.06.2010 को हुआ है। जहां तक परिवार राशनकार्ड में राजेन्द्रसिंह व सतपाल सिंह का नाम दर्ज होने का प्रश्न है, श्री सतपालसिह की चक 10 एच.एम.एच. में भूमि थी तथा वह श्री रघुनाथसिह के साथ वहां आबाद था व इस कारण स्व श्री रघुनाथसिह के जीवनकाल में बने परिवार कार्ड में उसका नाम स्व0 राजेन्द्रपालसिंह का नाम दर्ज हुआ है। सतपालसिंह स्व0 रघुनाथसिह के जीवनकाल में ग्राम पालवास के सरपंच कभी नहीं रहे बल्कि बाद में ग्राम पंचायत कंवरपुरा पंचायत समिति धोद (सीकर) के सरपंच बने है। वस्तुतः श्री राजेन्द्रपाल सिह पुत्रवत स्व0 रघुनासिंह के परिवार में रहे तथा श्री रघुनाथसिह व श्रीमति भंवरकंवर ने ही राजेन्द्रपालसिह का विवाह किया व श्रीमती भंवरकंवर ने अपनी भतीजी संतोषकंवर के साथ राजेन्द्रपालसिंह का विवाह करवाया। प्रश्नगत भूमि का 1/3 हिस्सा श्री सतपालसिंह के कब्जा में 2/3 हिस्सा की भूमि राजेन्द्रपालसिंह के कब्जा काश्त में रही है वर्तामान में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 के कब्जा काश्त में है। सिंचाई की शुद्धकार खसरा गिरदावरी कब्जा के संबंध में एक निश्चयात्मक प्रमाण है तथा इस भूमि की माली रकम की रसीद भी रेस्पोउेण्ट संख्या 1 से 3 के आधिपत्य व धारण में है। अपीलाण्ट ने भूमि पर कब्जा होने के संबध में कोई साक्ष्य नहीं दिये हैं। खातेदारी अधिकारों की घोषणा व वादपत्र में एक अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने में विधिक वर्जना नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2001 वपेज 28, आरआरडी 1993 पेज 206, आरबीजे 1998 पेज 381, आरआरडी 2009 पेज 17, आरआरडी 2009 पेज 158, आरआरडी 1994 पेज 142, आरआरडी 2016 पेज 580, आरआरडी 2018 पेज 302, डीएनजे 2019 (रेवेन्यू) पेज 18 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. विद्वान अधिवक्ता रेसपोडेण्ट संख्या 4 ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
7. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
8. अधीनस्थ न्यायालय में राजेन्द्र पाल सिह जो वर्तमान अपील के रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पति एवं रेस्पोडेण्ट सं0 2 व 3 पिता हैं ने एक दावा पेश जिसमें वादग्रस्त आराजी के संबंध में वसीयत के आधार पर घोषणा का अनुतोष चाहा। इस वाद पत्र के साथ में प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी प्रस्तुत किया गया जिसें उन्होंने विवादग्रस्त आराजी को रहन बैय, मुन्तकिल न करने व वादी के कब्जा काश्त में दखल नहीं करने बाबत अपीलांट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने विचारण कर अपीलाधीन आदेश पारित

9. पक्षकारान के मध्य विवाद मृतक रघुनाथसिंह की भूमि के संबंध में है, जिसमें एक तरफ रघुनाथसिह की पत्नी पुष्पाकंवर जो वर्तमान में विरासत के आधार पर 1996 में खोले गये नामान्तकरण के आधार पर रिकाडेर्ड खातेदार है एवं दूसरी तरफ रघुनाथसिंह के भाई के पुत्र राजेन्द्रसिंह के वारिसान (रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3) तथा भाई सतपाल सिह रेस्पोडेण्ट संख्या 4 है। रेस्पोडेण्ट वसीयत के आधार पर अनुतोष चाहते हैं। उक्त वसीयत को अपीलाण्ट ने फर्जी, कूटरचित और शुन्य बताया है तथा मुखत्यारनामा के माध्यम से किये गये बेचान को अपीलाण्ट पूर्णतः फर्जी एवं कूट रचित होना बताया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं बहस के अनुसार रघुनाथसिह की मृत्यु प्राकृतिक न हो कर उनके व उनकी पत्नी पुष्पाकंवर पर किये गये जान लेवा हमले के आधार पर हुई थी, जिसमें रघुनाथसिंह की हमले के बाद मृत्यु हो गई। जिसके संबंध में फौजदारी मुकदमा भी दर्ज होना बताया है। रघुनाथसिह की पहली पत्नी भंवर कंवर की मृत्यु 12.05.1992 को होना अंकित है। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद रघुनाथसिह द्वारा पुष्पा कंवर अपीलाण्ट से विवाह किया एवं 1996 में रघुनाथसिंह का देहान्त हो गया, जिसके पश्चात् विवाग्रस्त आराजी का विरास्तन नामांतकरण 1996 में पुष्पाकंवर के नाम दर्ज हो गया। राजेन्द्रपाल सिह ने 2013 में वाद पत्र एवं प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय में वसीयत के आधार पर प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने विवादग्रस्त आराजी में अपना वसीयत के आधार पर हक होना बताते हुए घोषणा का अनुतोष चाहा। उक्त वसीयत 19.01.1990 में रघुनाथसिंह द्वारा की गई, अंकित करते हुए राजेन्द्रपाल ने अपने स्वयं के नाम एवं सतपालसिंह जो कि रघुनाथसिह का भाई था के नाम करने का हवाला देते हुए घोषणा करवानी चाही है। इसके अलावा सतपालसिह द्वारा इसी विवादग्रस्त भूमि में से 1.855 है. भूमि जरिये मुख्त्यारनामा क्रय की है जिसका म्यूटेशन उनके हक में खोला जा चुका है। उक्त मुखत्यारनामा में महेन्द्रसिंह पुत्र भरतसिंह जो कि राजेन्द्रपाल सिंह का भाई है को पुष्पाकंवर द्वारा अधिकृत करना अंकित करते हुए जरिये मुखत्यारनामा सतपालसिंह के पक्ष बेचान किया गया है। इस मुखत्यारनामा के बारे में अपीलाण्ट द्वारा कोई जानकारी नही होना बताया है। इसके अलावा अपीलाण्ट द्वारा शैलेन्द्रसिह को गोद लिये जाने संबंधी एवं दस्तावेज को भी अस्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जो वसीयत की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है उसमें टंवरसिह पुत्र भंवरसिंह गवाह है। इस वसीयत पर दिनांक 19.01.1990 अंकित है। बहस में टंवरसिह को रेस्पोडेण्ट संतोष कंवर का भाई होना अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा बताया गया है। रेस्पोडेण्ट द्वारा टंवरसिह का रघुनाथसिह की पूर्व पत्नी भंवर कंवर के भाई भंवरसिह का पुत्र होना बताया है, साथ ही संतोष कंवर और भंवर कंवर एक ही परिवार के होना पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है। इस तरह वसीयत का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10. यहां यह विचारणीय तथ्य है कि वसीयत का गवाह टंवरसिह जो संतोष कंवर के परिवार से है और वसीयत 1990 में निष्पादित हुई है तो इस वसीयत की जानकारी संतोष कंवर अथवा उसके पति राजेन्द्रसिंह को क्यों नहीं हुई और इस सम्बन्ध में वसीयत के लगभग 23 वर्ष बाद दावा क्यों पेश हुआ। प्रकरण में विवादित वसीयत एवं मुखत्यानामा दोनों को ही फर्जी, गलत और कूटरचित बताया है। यदि वसीयत में सतपालसिंह का 1/3 हिस्सा है तो उनके द्वारा जरिये मुखत्यारनामा क्रय 1/2 कर वसीयत में अंकित हिस्से के लगभग बराबर हिस्से का क्रय क्यों किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि पुष्पाकंवर जिसके द्वारा यह मुखत्यानामा निष्पादित बताया गया है वह एकल, विधवा और अनपढ महिला है तथा सतपालसिंह पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच रहा है जिसे कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी होना स्वाभाविक माना जा सकता है। हालांकि वसीयत का निर्धारण नियमानुसार उचित परीक्षण के आधार पर होना है किन्तु उपरोक्त तथ्य वसीयत को संदेहास्पद बनाते हैं साथ ही मुखत्यारनामा भी उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत संदेहास्पद प्रतीत होता है। पक्षकारान विवादग्रस्त भूमि में अपना अपना कब्जा बता रहे है। उभयपक्ष ने अपने–अपने आधार व दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं जिनका निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेजों के आधार पर होना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट रिकार्डेड खातेदार को रहन, बैय, मुन्तकिल नहीं करने व वादीगण के कब्जे काश्त में दखल नहीं करने बाबत पाबंद किया है। अपीलाण्ट एक खातेदार, विधवा, एकल, अनपढ महीला है जिसे पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विस्तृत विवेचन एवं वकील अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टान्त को मद्देनजर रखते हुए भी रिकार्डेड खातेदार को पाबंद किया जाना नियमानुकूल नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पाबंद किया गया है जो न्यायोचित नहीं माना जा सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एव सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.02.2019 खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03/5/19

(मूल चन्द)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ